	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साअधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	माघ 17, गुरूवार, *शाके* 1941–फरवरी 06, 2020 *Magha 17, Thursday, Saka 1941–February 06, 2020*	

भाग-6(ख)

जिला बोर्डों, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि।

नगरीय विकास विभाग

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 4, 2020

संख्या प.2(2)नविवि/सीकर/2019 :-राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 15) की धारा 90-क की उप धारा (2) के साथ पठित राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजनार्थ के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम-2012 के नियम 2 के खण्ड (ii) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा, निम्नांकित सारणी के कोलम संख्या 2 में वर्णित स्थानीय प्राधिकारियों के क्षेत्र के लिए उनके सम्मुख कोलम संख्या 3 में वर्णित अधिकारियों को कृषि भूमि को गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग करने की अनुज्ञा प्रदान करने एवं भूमि को स्थानीय प्राधिकारी के व्ययन पर देने के लिए विशेष रूप से प्राधिकृत करती हैः-

क्र.सं.	**स्थानीय प्राधिकारी का नाम** 2	**अधिकारी का पद नाम** 3
1	**नगर परिषद, सीकर**	**आयुक्त, नगर परिषद, सीकर**

शेष नगरीय क्षेत्र में सचिव, नगर विकास न्यास, सीकर द्वारा राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजनार्थ के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम-2012 के नियम 2 के खण्ड (ii) के तहत प्राधिकृत अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग किया जायेगा।

मनीष गोयल,
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।